दिनाक 14.11.2020	
प्रेस विज्ञप्ति–14 / 20	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 750 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ पचास लाख रूपये) अवैध मादक पदार्थ(गांजा)बरामद।

आज दिनॉकः 14–11–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 05 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 750 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ पचास लाख रूपये) मादक पदार्थ (गॉजा) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– सुरेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 मेवा लाल जायसवाल नि0 ग्राम मिर्जापुर चौहारी रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़। (मुख्य तस्कर)

2– भीम प्रसाद गुप्ता उर्फ भूषण शाहू पुत्र वासुदेव शाहू नि0 ग्राम वेद व्यास, जिला सुन्दरगढ़, उडीसा प्रदेश। (मुख्य तस्कर)

3– हरेन्द्र कुमार पाल पुत्र शिवबचन पाल नि0 ग्राम बेलहारी, पोस्ट बम्भौर, थाना महोनिया जनपद भभुवा, बिहार (मीडीएटर)

4– राजेश पाल उर्फ सोनू पुत्र द्वारिका पाल नि0 खदाब पोस्ट खुदरू, थाना दिनारा, जनपद रोहतास, बिहार (ड्राईवर)

5– धीरज कुमार पुत्र केवल सिंह नि0 ग्राम मघेपुर, थाना खुदवा जनपद औरंगाबाद, बिहार। (ड्राईवर)

गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः–

1– 750 किलाग्राम अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ पचास लाख रूपये

2– एक अदद टाटा–1109 इएक्स नं0 यू0पी0 72–एटी–7706

3– एक अदद महिन्द्र जायलो नं0 डीएल–3सी–बीएम–0552

4– 07 अदद मोबाइल फोन,

5— 03 अदद आधार कार्ड,

6— 02 अदद डी0एल0

7— 03 अदद ए0टी0एम0 कार्ड,

8— 03 अदद निर्वाचन कार्ड,

9— एक अदद पैन कार्ड,

10— एक अदद सफेद धातू की चेन,

11— एक अदद सफेद धामू की अंगूठी,

12— रू0 3700/— नगद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः—</u>

दिनांक 14—11—2020 समय 07:00 बजे प्रातः, नेतानगर रेलवे फाटक के पास थानाक्षेत्र सुरियावां, जनपद भदोही।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदे"ा को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैघ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्दे"ात किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि आन्ध्र प्रदेश से अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर कुछ तस्कर सुरियांवा के रास्ते प्रतापगढ़ आने वाले हैं। इस सूचना पर वि"वास कर उप निरीक्षक श्री पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में आरक्षीगण आलोक पाण्डेय, सूरज कुमार, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, राघवेन्द्र तिवारी, कृष्ण गिरी व कमाण्डो रामबली गिरी की एक टीम गठित कर थाना सुरियांवा जनपद भदोही की पुलिस को साथ लेकर कार्यवाही करने के उद्दे"य से जनपद भदोही के सुरियांवा थाना क्षेत्रन्तर्गत पहुॅचकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान से समय 07:00 बजे प्रातः उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भीम प्रसाद गुप्ता उर्फ भूषण शाहू एवं हरेन्द्र कुमार पाल ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि वह आन्ध्र प्रदेश से अवैध गांजा खरीद कर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में ऊँचे दामों में बेचते है। वह यह कार्य काफी दिनों से कर रहे हैं। ऊँचे दाम मिलने की लालच में वह यह कार्य करते रहते हैं।

गिरफ्तार चालकों ने पूछताछ पर बताया कि वह यह माल आन्ध्र प्रदेश से लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में सुरेन्द्र कुमार जायसवाल व भीम प्रसाद गुप्ता उर्फ भूषण शाहू के कहने पर लाते हैं। उन्हें प्रति चक्कर 50,000/– से 75,000/– मिलता है, जिसकी लालच में वह यह कार्य करते है। इस बार आन्ध्र प्रदेश से माल लेकर प्रतापगढ़ जाने वाले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

बरामद अवैध गॉजे तथा ट्रक को थाना सुरियांवा जनपद भदोही में दाखिल कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 284/2020 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 990 पेटी अवैध शराब Bombay Special Whisky (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख) लदा डीसीएम ट्रक बरामद।

दिनांक–13.11.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की फील्ड इकाई, प्रयागराज को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 990 पेटी अवैध शराब Bombay Special Whisky (अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख) लदा डीसीएम ट्रक बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– भगवान पुत्र रतन, निवासी ग्राम नाया, पो0 नाया, थाना बड़वाँ, जनपद खरगोन, मध्यप्रदे"ा।

2– अनिल यादव पुत्र स्व0राम जियावन यादव, निवासी प्रेमराजपुर, पो0 "ारवा, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।

3– इन्द्रसेन मनीष पुत्र राम कि"ाोर, निवासी ग्राम भरतपुर, पो0 सिकरारा, थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर।

वांछित अभियुक्त का विवरण

1– सती"ा सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी मुजाहिन, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः–

1– 990 पेटी अवैध दे"ाी शराब (लगभग 8553 लीटर–अनुमानित मूल्य लगभग 40 लाख रूपये)

2– 01 अदद डीसीएम नम्बर–यू0पी–70सीटी–5929।

3– 01 अदद मोटरसाइकिल (पै"ान) नम्बर यू0पी–62 बी0वी0–0539।

4– 05 अदद मोबाइल फोन।

5– 01 अदद ड्राईविंग लाइसेन्स नं0–एमपी 10 आर 20190086156।

6– 01 अदद आधार कार्ड।

7– 01 अदद फर्जी बिल्टी।

8– नकद रूपये 2140।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

विष्णुपुर कला मोड़, थाना क्षेत्र रानीगंज, प्रतापगढ़, दि0 13.11.2020, समय 21.15 ।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा मध्य प्रदे"ा, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी उत्तर प्रदे"ा के विभिन्न जनपदों –जैसे फतेहपुर, कौ"ााम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्दे"ाित किया गया था। उक्त निर्दे"ा के क्रम में श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज की टीमों द्वारा अवैध

शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनाक—13.11.2020 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री के0सी0राय व श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, आरक्षी संतोष कुमार, कि"ानचन्द्र, उदय प्रताप सिंह व साजिद अली की टीम जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना मिली कि मध्यप्रदे"ा से एक वाहन में लदी हुयी अवैध शराब विक्रय हेतु पट्टी, प्रतापगढ़ जाने वाली है। इस सूचना पर वि"वास कर उक्त टीम के सदस्य तत्काल स्थानीय पुलिस को सहयोगार्थ साथ लेकर थाना रानीगंज क्षेत्र अन्तर्गत विष्णुपुर कला मोड़ पर मुखबिर के बताये हुये वाहन का इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर में मुखबिर द्वारा बताये गये नम्बर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उक्त वाहन व उसके आगे—आगे रास्ता दिखाते चल रहे मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को विष्णुपुर कला मोड़ पर रोककर चेकिंग की गयी और अवैध शराब से लदे ट्रक व 03 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई। सघन तला"ाी से ट्रक के चालक केबिन से एक अदद फर्जी बिल्टी 02 प्रतियों में बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त ट्रक ड्राइवर ने विस्तृत पूछताछ पर बताया कि यह अवैध शराब मध्यप्रदे"ा के खरगोन खोड़ी ग्राम बड़वा से सचिन सिंह ने जनपद प्रतापगढ़ व जौनपुर तक पहुँचाने के लिए भेजा था, तथा कहा था कि जनपद प्रतापगढ़ में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ लोग सम्पर्क करके स्वयं इस अवैध शराब को अपने अड्डे तक लेकर जाएगें। मौके से पकड़े गए दो स्थानीय शराब तस्करों अनिल यादव व इन्द्रसेन मनीष ने पूछताछ पर बताया कि वे लोग सती"ा सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी मुजाहिन, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर अवैध शराब का कारोबार प्रतापगढ़ व जौनपुर जिलों में करते हैं। इस समय त्योहारों का सीजन होने से अवैध शराब की मॉग भी ज्यादा है। इस अवैध शराब को मध्य प्रदे"ा से सस्ते दामों पर खरीदकर स्थानीय रूप से फुटकर में ऊँचे दामों पर बिक्री करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में दाखिल करके मु0अ0सं0—631/2020 धारा—419/420/467/468/471 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>जनपद सम्भल/थाना नखासा</u>

- **10 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद**

दिनांक 13.11.2020 को थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हातिमसराय रेलवे स्टेशन से पुरस्कार घोषित अपराधी इमरान को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नखासा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 472/2020 धारा 302/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नखासा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

इमरान निवासी मोहल्ला खग्गूसराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद मिर्जापुर/थाना हलिया

- **15 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 14.11.2020 को थाना हलिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गड़बड़ा रोड़ रतेह चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हलिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना हलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

संजय निवासी रानीबाग थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर।

————